

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/188

दायरा तिथि : 12.09.2023

आदेश तिथि : 21.09.2023

प्रार्थी :-

राकेश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी बेकर्स स्ट्रीट, सुभाष नगर, भीलवाडा

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 21-09-23

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि रूगनाथपुर पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 585 रकबा 0.2400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 387 रकबा 1.3800 हैक्टर व खसरा नंबर 583 रकबा 2.8200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1046 दिनांक 18.09.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह कि ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा नंबर 585 रकबा 0.24 हैक्टर की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी बेकर्स स्ट्रीट, सुभाष नगर, भीलवाडा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन किया जा रहा है।

2. यह है कि ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा नंबर 376 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता मौके पर डामर सड़क है जिससे प्रार्थी आवेदक की खातेदारी भूमि 460 मी. दूरी पर स्थित है, उक्त कटान मार्ग से प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी 460 मीटर पर स्थित है।

3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	387	1.3800	गै.मु. पत्थर	200X9=1800 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	583	2.8200	गै.मु. मगरा	264X9=2376 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम रूगनाथपुरा की डी.एल.सी. दर 106271 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व

सरकार की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 585 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म बरानी दायम की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं

पेज लगातार.....02

होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1046 दिनांक 18.09.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 585 रकबा 0.2400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 387 रकबा 1.3800 हैक्टर व खसरा नंबर 583 रकबा 2.8200 हैक्टर में से $1800+2376=4176$ वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 10627/-रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
387	1.3800	200X9=1800 वर्गमीटर	11	19800X2= 39600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
583	2.8200	264X9=2376 वर्गमीटर	11	26136X2=52272	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 91872/- (अक्षरे इकरानवे हजार आठ सौ बहत्तर रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक / केस / 2023 / 555-59

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक राकेश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी बेकर्स स्ट्रीट, सुभाष नगर, भीलवाडा को सूचनार्थ।

(श्री. माणिक्य शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली (जिला-पाली) राज्. 23

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज्.